ए.

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा

बनाम

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य।

(2021 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 409)

बी.

17 मार्च, 2023

**[**सूर्या कान्ट और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।321, 406 – भारत का संविधान-अनुच्छेद 139 ए-उच्चतम न्यायालय नियम, 2013-या। 39-मृतक के याचिकाकर्ता-भाई ने पश्चिम बंगाल में लंबित आपराधिक मुकदमे को असम में स्थानांतरित करने की मांग की-पीड़ित-मृतक को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई थी-उत्तरदाता-अभियुक्तों पर यू/एस आरोप लगाया गया था। 302 आर/डब्ल्यू एस।120 आई. पी. सी. का बी और यू/एस.25 और शस्त्र अधिनियम 1959 का 27-आरोप पत्र दायर किया गया था-मुकदमा शुरू हुआ-प्रत्यर्थी नं।2 (मुख्य अभियुक्त) हिरासत में था-मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा जारी एक अधिसूचना में लोक अभियोजक को यू/एस आवेदन करने का निर्देश दिया गया था।321 निचली अदालत की सहमति के अधीन प्रत्यर्थी ओं के खिलाफ कार्यवाही वापस लेना-उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई अधिसूचना-राज्य के निर्देश के अनुसार, लोक अभियोजक ने अभियोजन मामले को वापस लेने के लिए निचली अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया-यह आवेदन निचली अदालत की अध्यक्षता करने वाले लिंक जज द्वारा लिया गया था, बावजूद इसके कि मामला सबूत के लिए सूचीबद्ध किया गया था-लिंक जज को उच्च न्यायालय में अधिसूचना को चुनौती देने के बारे में सूचित किया गया था, इसकी परवाह किए बिना, उन्होंने आवेदन सुना और उसे अनुमति दी-प्रत्यर्थी ओं को बरी कर दिया गया-वास्तव में शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसने मामले को वापस लेने के निर्देश देने वाली राज्य की अधिसूचना को अपास्त करना दिया-खंड पीठ ने आदेश को अपास्त करना दिया और मामले को नए निर्णय के लिए भेज दिया-एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।2 हिरासत से रिहा नहीं किया गया-इस बीच, मुकदमा आगे बढ़ा-याची ने वास्तव में

शिकायतकर्ता को शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया-हालांकि, उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया-याची ने स्थानांतरण याचिका दायर की-याची ने मुकदमे के दौरान कई असामान्यताओं का आरोप लगाया, जैसे कि लोक अभियोजक को चार बार बदलना और अभियोजन पक्ष के गवाहों और मृतक के रिश्तेदारों को परेशान करना-आयोजितः

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1090 ए.

1091

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य।

पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है-90 से अधिक गवाहों, जिनमें से अधिकांश बंगाली भाषी हैं, से पूछताछ की जानी बाकी है-स्थानांतरण उन गवाहों के अभिसाक्ष्य में गंभीर बाधा पैदा कर सकता है और उनमें से कुछ दूर की यात्रा करने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं-हालांकि, सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुएः(i) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीसरा न्यायालय, तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित की गई पंजीकृत एफ. आई. आर. No.495/2019 कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय को हस्तांतरित की गई; (ii) मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा और मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा; (iii) साप्ताहिक आधार पर मुकदमा चलाया जाएगा; (iv) राज्य को उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी के साथ मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय की सिफारिशों पर एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया; (v) मृतक और याची की पत्नी और अन्य महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए; (vi) वास्तविक रूप से प्रत्यर्थी से विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की जानी चाहिए।2 या कोई अन्य अभियुक्त जो हिरासत में हैं जिन्हें कलकत्ता की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित किया जाना है; (viii) प्रत्यर्थी सं।2 (viii) मुकदमे की कार्यवाही की निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए उच्च न्यायालय के पोर्टफोलियो न्यायाधीश को छोड़कर मुकदमे के समापन तक जमानत पर नहीं बढ़ाया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -एस. 406-धारा 406, सी. आर. पी. सी. के तहत स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्याय स्पष्ट रूप से गंभीर खतरे में हो और इसलिए इस तथ्य पर विचार करते हुए कि स्थानांतरण राज्य न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक आक्षेप लगा सकते हैं, केवल असाधारण मामलों में ही अनुमति दी जा सकती है-इसके अलावा पक्षकारों और गवाहों की सुविधा के साथ-साथ उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी स्थानांतरण याचिका का निर्णय करते समय प्रासंगिक कारक हैं।

एफ.

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **406 (2)** में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को "केवल भारत के महान्यायवादी या किसी इच्छुक पक्ष के आवेदन पर" स्थानांतरित कर सकता है।सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **406 (2)** के तहत 'इच्छुक पक्ष' वाक्यांश की उपयुक्त और विस्तृत व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि याची , मृतक का असली भाई होने के नाते, एक निष्पक्ष मुकदमे में महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखता है ताकि मृतक और उसका परिवार न्याय प्राप्त कर सके।

जी.

एच.

1092 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

ए.

न्याय।इस प्रकार याची  के लोकस स्टैंड को उत्तरदाताओं की चुनौती को खारिज कर दिया जाता है।**[**पारस **22,24] [1106-**बी**-**सी**,** जी**]**

**2.** अब तक यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि न्याय नहीं होने की एक अच्छी तरह से स्थापित आशंका मामले के हस्तांतरण के लिए एक पूर्व शर्त है।एक मामले के हस्तांतरण की शक्ति का पता लगाते हुए, हमें रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिस में लॉर्ड हेवर्ट के कथन की याद दिलाई जाती है।

बी.

यह कहते हुए कि "यह केवल कुछ महत्व का नहीं है, बल्कि मौलिक महत्व का है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए।"निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है

भारत के संविधान के अनुच्छेद **21** के तहत मौलिक अधिकार और इसके महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है।हालाँकि, किसी मामले के हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए, याची  को ऐसी परिस्थितियाँ दिखाने की आवश्यकता होती है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक उचित आशंका को स्वीकार करता है।यह आशंका काल्पनिक नहीं हो सकती और यह केवल आरोप नहीं हो सकता।धारा **406,** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** के तहत स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्याय स्पष्ट रूप से गंभीर खतरे में हो।इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए केवल असाधारण मामलों में स्थानांतरण की अनुमति दी है कि स्थानांतरण राज्य की न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक आक्षेप लगा सकते हैं।**[**पारस **25,26,27] [1107-**ए**-**ई**]**

सी.

डी.

**3.** पक्षकारों और गवाहों की सुविधा के साथ**-**साथ उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेते समय प्रासंगिक कारक हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में उल्लेख किया गया है।नीलम पांडे बनाम राहुल शुक्ला सहित हाल के कुछ फैसलों में, इस न्यायालय ने देखा है कि एक आपराधिक मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना न केवल राज्य न्यायपालिका बल्कि अभियोजन एजेंसी की भी विश्वसनीयता को दर्शाता है।**[**पैरा **31,32] [1109-**सी**-**डी**]**

ई.

एफ.

**4.** मुकदमे को पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और याची  की आशंकाएं, जिनमें से कुछ वास्तव में वास्तविक हैं, उचित निर्देश जारी करके प्रभावी ढंग से दूर की जा सकती हैं।हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि **90** से अधिक गवाहों, जिनमें से अधिकांश बंगाली भाषी हैं, से अभी पूछताछ की जानी बाकी है।किसी अन्य पड़ोसी राज्य को मुकदमे का हस्तांतरण उन गवाहों के अभिसाक्ष्य में गंभीर बाधा पैदा करेगा और उनमें से कुछ अनिच्छुक हो सकते हैं ए

जी.

एच.

किसी दूर के स्थान की यात्रा करना और इस प्रकार, अभियोजन का मामला गंभीर रूप से प्रतिकूल होगा।जब तक उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मुकदमे की कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित कर रहे हैं, हम यह स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि अगर पश्चिम बंगाल राज्य में मुकदमा चलाया जाता है तो पीड़ित के परिवार को उचित न्याय नहीं मिलेगा।**[**पैरा **35] [1110-**डी**-**एफ**]**

बी.

**5.** सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित शर्तों में इस स्थानांतरण याचिका का निपटारा करना उचित समझता है:**- (i)** एस**.** टी**.** सं**.** वाले आपराधिक मुकदमे। एफ**.** आई**.** आर**.** सं**. 2020** से उद्भूत **1 (03)**। पुलिस स्टेशन पंसकुरा, जिला पूर्व मेदिनीपुर में पंजीकृत **495/2019** को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय, तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है**; (ii)** मुकदमा मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय द्वारा संचालित किया जाएगा और वह मामले को किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को नहीं सौंपेगा**; (iii)** मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय साप्ताहिक आधार पर मुकदमा चलाने का प्रयास करेगा और छह महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का प्रयास करेगा**; (iv)** पश्चिम बंगाल राज्य को मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।यह कवायद दो सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी**; (v)** मृतक की पत्नी, याची और अभियोजन पक्ष के अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।पश्चिम बंगाल राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे और प्रत्यर्थी संख्या **2** या उनके सह**-**अभियुक्त व्यक्तियों या उनकी ओर से किसी ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने, डराने या धमकी देने का प्रयास न विद्वान जाए। **(vi)** वास्तविक शिकायतकर्ता जिसे प्रत्यक्षदर्शी भी कहा जाता है और जिसने मुख्य परीक्षा के दौरान दर्ज अपने बयान से कथित रूप से इनकार विद्वान है, विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा के अधीन होगा, जिसके लिए याची द्वारा नियुक्त अधिवक्ता विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सहायता प्रदान कर सकता है**; (vii)** प्रत्यर्थी संख्या **2** या हिरासत में रखे गए किसी अन्य आरोपी को तुरंत कलकत्ता की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। **(viii)** प्रत्यर्थी सं**. 2,** अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के साथ**-**साथ हिरासत में रखे गए अन्य अभियुक्तों को ध्यान में रखते हुए,

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1094 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

ए.

उच्च न्यायालय को छोड़कर और मुकदमे के समापन तक जमानत पर नहीं बढ़ाया जाएगा**;** **(ix)** कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान पोर्टफोलियो न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे ऊपर जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में मुकदमे की कार्यवाही की नियमित रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण करें।**[**पैरा **36] [1110-**जी**-**एच**; 1111-**ए**-**जी**]**

बी.

के**.** अनबाझगन बनाम कर्नाटक राज्य **(2015) 6** एससीसी **86:[2015] 7** एस**.** सी**.** आर**. 355;** अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह

बादल (2009) 6 एससीसी 260:[2009] 9 एससीआर 194; नाहर

सिंह यादव बनाम भारत संघ **(2011) 1** एस**.** सी**.** सी**. 307:**

**[2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 851-**पर निर्भर।

सी.

सुरेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2010)**

9 एससीसी 475:[2010] 11 एस. सी. आर. 909; अब्दुल नजर मदनी बनाम तमिलनाडु राज्य (2000) 6 एस. सी. सी. 204:[2000] 3

एस**.** सी**.** आर**. 1028;** श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल **(**द्वितीय**)** बनाम।

टी. एन. राज्य (2005) 8 एस. सी. सी. 771:[2005] 4 पूरक।एससीआर

**556;** हरिता सुनील परब बनाम राज्य **(**दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**) (2018)**

डी.

6 एससीसी 358:[2018] 3 एस. सी. आर. 732; स्वाति निर्खी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 202; गुरचरण

दास चड्ढा बनाम राजस्थान राज्य **[1966] 2** एससीआर **678;** आशीष चंद्र बनाम आशा कुमारी **(2012) 1** एससीसी **680:[2011] 13** एस**.** सी**.** आर**. 417;** के**.** अनबाझगन बनाम अधीक्षक

ई.

पुलिस (2004) 3 एस. सी. सी. 767:[2003] 5 पूरक।एससीआर

**610;** ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य

(2006) 3 एससीसी 374:[2006] 2 एससीआर 1081; मेनका

संजय गांधी बनाम रानी जेठमलानी **(1979) 4** एससीसी **167:[1979] 2** एस**.** सी**.** आर**. 378;** आर**.** बालकृष्ण पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ

केरल (2000) 7 एससीसी 129:[2000] 3 पूरक।एससीआर 26;

एफ.

नीलम पांडे बनाम राहुल शुक्ला स्थानांतरण याचिका **(**सीआरएल**)**

**2020** का सं**. 298,22** फरवरी **2023-**निर्दिष्ट।रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिस **[1924] 1 KB 256-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

जी.

**[2010] 11** एस**.** सी**.** आर**. 909** पैरा **17 (ix) [2015] 7** एस**.** सी**.** आर**. 355** पैरा **17 (ix)** पर निर्भर था।

एच.

1095

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य।

ए.

**[2000] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1028** पैरा **19 (vii), 31 [2005] 4** को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 556** पैरा **19 (vii), 31 [2018] 3** एस**.** सी**.** आर**. 732** पैरा **19 (vii), 31 [2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 851** पैरा **19 (viii), 27** और **29 [1966] 2** एस**.** सी**.** आर**. 678** पैरा **19 (viii)** पर निर्भर करता है।

बी.

**[2009] 9** एस**.** सी**.** आर**. 194** पैरा **19 (viii), 26** और **28 [2011] 13** एस**.** सी**.** आर**. 417** पर निर्भर था जिसे पैरा **19 (ix)** में संदर्भित किया गया है।

सी.

**[2003] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 610** पैरा **23 [2006] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1081** पैरा **26 [1979] 2** एस**.** सी**.** आर**. 378** पैरा **26 [2000] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **26,30** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 26**

डी.

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः2021 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 409।

तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में ए. एस. जे. 3 में लंबित 2020 के केस बेयरिंग S.T.No.1 (03) को असम के सक्षम कामरूप जिला न्यायालय में स्थानांतरित करने की याचिका।

ई.

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, निर्निमेश दुबे, सुश्री बांसुरी स्वराज, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, आकाश सिंह, निहार धर्माधिकारी, सुश्री सम्प्रीति बक्शी, अधिवक्तागण याची  के लिए।कपिल सिब्बल, नीरज किशन कौल, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्तागण , रविंदर सिंह, निपुन सक्सेना, श्रीसात्या मोहंती, रवीशा गुप्ता, संजीव कौशिक, सुश्री मंटिका हरियानी, सुश्री अपराजित जामवाल, हिमांशु चक्रवर्ती, देवव्रत सिंह, सुश्री मुस्कान सुराना, सुश्री सौम्या सक्सेना, अर्चित अदलखा, सुश्री आस्था शर्मा, रोहित अग्रवाल, गौतम डे, पार्थ सिल, तवीश भूषण प्रसाद, सुश्री सयानी भट्टाचार्य, अर्जुन रंगनाथन, देवेश मिश्रा, पलक भगत, सुश्री रेशमी रिया सिन्हा, अभिषेक सरकार, मणि भूषण सिन्हा, प्रणब प्रकाश, सौम्या दत्ता, सिद्धांत उपमन्यु, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एफ.

जी.

एच.



ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट**,** जे।

1. इस स्थानांतरण याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, 'सीआरपीसी') की धारा 406 के तहत प्राथमिकता दी गई है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए और सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश 39 के सहपठित  पढ़ा गया है।याची  यहाँ एक कुर्बन

शा (इसके बाद, 'मृत') का भाई है और वह 2020 की आपराधिक सुनवाई एस. टी. 1 (03) को स्थानांतरित करने की मांग करता है, जो पीएस पंसकुरा में दर्ज 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 495 से उत्पन्न होती है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालय, तीसरी न्यायालय, तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल (इसके बाद, 'ट्रायल कोर्ट') में लंबित है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि पश्चिम बंगाल राज्य में एक निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी।

बी.

सी.

ए. तथ्य

2. हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले उपरोक्त मुद्दे पर विचार करने से पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर संक्षेप में चर्चा की गई है:-

डी.

3. घटना की तारीख, यानी 07.10.2019 पर, मृतक को कथित तौर पर 'कुछ अज्ञात बाहुबलियों और गुंडों' द्वारा गर्दन में गोली मार दी गई थी, जब वह एक राजनीतिक दल के कार्यालय में काम कर रहा था।मृतक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।अगले दिन, भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद, 'आई. पी. सी.') की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के तहत और एक जहर शा (इसके बाद, 'वास्तविक शिकायतकर्ता') के कहने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत विषय एफ. आई. आर. दर्ज की गई, जिसे मृतक का भतीजा और कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है।

ई.

एफ.

4. जाँच के बाद, पुलिस अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी संख्या 3 से 11 भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ अपराध में शामिल थे।वास्तविक शिकायतकर्ता और याची सहित 107 गवाहों की सूची के साथ उक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।यह उल्लेख करना उचित है कि जांच के दौरान, पुलिस ने कुछ आपत्तिजनक सामग्री जैसे आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

जी.

5. तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 और प्रत्यर्थी संख्या 11 के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत आरोप तय किए गए थे।प्रत्यर्थी संख्या 9 और 10 को पहले घोषित ए घोषित किया गया था।

एच.

1097

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

अपराधी।मुकदमा सितंबर, 2020 में शुरू हुआ।मुख्य अभियुक्त, अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 2, हिरासत में बना हुआ है क्योंकि उसकी बार-बार जमानत याचिकाओं को विचारण न्यायालय के साथ-साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया है।

6. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के कानूनी अनुस्मारक और पदेन सचिव, न्यायिक विभाग ने राज्यपाल के एक आदेश द्वारा एक अधिसूचना जारी की, जिसमें लोक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन करने और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 11 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही वापस लेने का निर्देश दिया गया, जो विद्वान विचारण न्यायालय की सहमति के अधीन है।इस अधिसूचना को वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

बी.

सी.

7. इसके तुरंत बाद, 01.03.2021 पर, एक नव नियुक्त लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्ष के मामले को वापस लेने की प्रार्थना करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर विद्वान , जिसमें कहा गया कि यह राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रभावित था।इस आवेदन को अगले ही दिन एक लिंक जज द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था, जो विचारण न्यायालय की अध्यक्षता कर रहे थे, इस तथ्य के बावजूद कि मामला 10.03.2021 पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।लिंक जज को कथित तौर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में दिनांकित अधिसूचना के लिए लंबित चुनौती के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना, वह आवेदन पर सुनवाई करने के लिए आगे बढ़े और अभियोजन पक्ष को मामले को वापस लेने की अनुमति दी।नतीजतन, प्रत्यर्थी संख्या 2-11 को बरी कर दिया गया।

डी.

ई.

8. इस बीच, वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को उसी दिन दोपहर सुनवाई के लिए लिया गया जब विचारण न्यायालय ने लोक अभियोजक को आपराधिक मामले को वापस लेने की अनुमति दी थी।उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

एफ.

**"**आश्चर्यजनक रूप से**,** तत्काल मामले में**, 26** फरवरी**, 2021** को एक विशिष्ट अधिसूचना जारी की गई थी**,** जिसमें स्पष्ट रूप से राज्यपाल को संबंधित लोक अभियोजक को सत्र न्यायालय की सहमति के अधीन मामले को वापस लेने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया था।हालाँकि**,** उक्त आदेश में कारण और/या इस तरह की वापसी से न्याय और सार्वजनिक हित के कारण कैसे आगे बढ़ेंगे**,** इसका संकेत नहीं दिया गया है।इसके अलावा**,** वर्तमान मामले में कार्यप्रणाली काफी पारदर्शी है क्योंकि लोक अभियोजक ने वास्तव में इस तरह के निर्देश पर काम किया और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार एक आवेदन दिया और इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद

जी.

एच.



न्यायालय वर्तमान रिट याचिका पर विचार कर रहा है**,** संबंधित सत्र न्यायाधीश ने इस तरह की वापसी के लिए सहमति प्रदान की है**,** जिसका प्रभाव अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने पर पड़ता है।यह राज्य के पिछले सभी अवसरों पर लिए गए रुख से स्पष्ट है जब जमानत खारिज कर दी गई थी**,** कि राज्य ने अभियुक्त को जमानत देने का भी जोरदार विरोध किया था। इसलिए**,** यह पूरी तरह से तर्क की अवहेलना करता है कि किस बात ने सरकार को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला अचानक वापस लेने के लिए लोक अभियोजक को निर्देश देने के लिए प्रेरित किया।

बी.

यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अपने ऊपर लगाए गए स्व**-**लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद**,** इस तरह का प्रतिबंध न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के लिए एक बाधा नहीं हो सकता है जहां कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ है।यदि रिट न्यायालय दुर्भावनापूर्ण और मनमाना प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है**,** तो यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक समीक्षा के अपने कर्तव्य में विफल होगी।

सी.

डी.

वर्तमान मामले में**, 26** फरवरी**, 2021** को लोक अभियोजक को राज्य के निर्देशों की मनमानी और अनुचित प्रकृति को देखते हुए**,** जिसके अनुसार लोक अभियोजक ने कार्य किया

और यहां तक कि सत्र न्यायालय ने भी इस तरह की वापसी के लिए सहमति दी, उक्त निर्देश के साथ-साथ उसके प्रभावों को भी अपास्त करनाना होगा।"

ई.

9. उच्च न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए किसी भी मानदंड को लोक अभियोजक या राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, यह माना गया कि यह अभ्यास कानून में खराब था और राज्य की दुर्भावना उसके विरोधाभासी रुख से स्पष्ट थी जिसमें उसने पहले जमानत आवेदनों का विरोध किया था, लेकिन अब वह स्वयं अभियोजन वापस लेने की मांग कर रहा था।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस बीच राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें मामले को वापस लेने की अनुमति देने वाला आदेश भी शामिल है, अपास्त करना किया जा सकता है।उसने तदनुसार आदेश दिया।

एफ.

जी.

10. इसके बाद वास्तविक शिकायतकर्ता ने  विचारण न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें ए को जमानत देने पर अपनी 'कोई आपत्ति नहीं' व्यक्त की गई।

एच.

1099

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

प्रत्यर्थी  संख्या 2.इस बीच, प्रत्यर्थी  संख्या 2 ने अन्य बातों के साथ-साथ ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर डिवीजन बेंच के समक्ष विद्वान  एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की।डिवीजन बेंच ने इस आधार पर आदेश को अपास्त करना दिया और मामले को नए फैसले के लिए भेज दिया।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याची  ने यहां डिवीजन बेंच के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने के लिए एक आवेदन भी दायर किया था, लेकिन एकल न्यायाधीश के समक्ष अनुरोध को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता के साथ इसे बंद कर दिया गया था।

बी.

11. रिमांड पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले रिट याचिका को वापस लेने के लिए वास्तविक शिकायतकर्ता की प्रार्थना पर विचार विद्वान  और इसमें याची  के आवेदन को भी एक पक्ष के रूप में शामिल विद्वान ।विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्यवाही के दूसरे दौर में एक अंतरिम

आदेश के माध्यम से, सबसे पहले नोट विद्वान कि याची मृतक का भाई है और उसे एक नई रिट याचिका दायर करने का अधिकार है और दूसरा, वास्तविक शिकायतकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता के लिए कथित खतरे को देखते हुए, उसका नाम हटा दिया गया था और याची को रिट याची के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था।एकल न्यायाधीश ने कहा कि उस स्तर पर रिट याचिका को वापस लेने से विद्वान खंड पीठ के आदेश के साथ-साथ न्याय के उद्देश्य भी विफल हो जाएंगे।इस प्रकार, यह फिर से निर्देश दिया गया कि लिंक न्यायाधीश के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और प्रत्यर्थी संख्या 2 को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।इस आदेश को बाद में डिवीजन बेंच ने अपील में बरकरार रखा।12. इस बीच मुकदमा आगे बढ़ा लेकिन कहा जाता है कि अपनी जिरह के दौरान, वास्तविक शिकायतकर्ता ने मुख्य जाँच के दौरान दिए गए बयान से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी लोक अभियोजक द्वारा उसे शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया था।इसके बाद, याची ने वास्तविक शिकायतकर्ता को शत्रुतापूर्ण घोषित करने और याची के वकील को उससे जिरह करने की अनुमति देने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पर विचार किया और नोट किया कि वस्तुतः

सी.

डी.

ई.

एफ.

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कुछ बयान दिए थे, जो उसकी जांच के संस्करण के अनुरूप नहीं हैं।

मुखिया "।हालाँकि, याचिकाकर्ता के आवेदन को वैधानिक प्रावधानों और मामले के कानून की सराहना के बाद खारिज कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

जी.

**"**पूर्वगामी पैराग्राफ में की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए**,** मेरी राय है कि अभियोजन पक्ष को सही तथ्यों का पता लगाने के लिए एक उचित मौका दिया जाना चाहिए**,** और

एच.



एल**.** डी**.** को अवसर दिया जाएगा। स्प्ल**.** पी**.** पी**.** ने पी**.** डब्ल्यू**. 1** को शत्रुतापूर्ण घोषित करने के बाद उससे जिरह की।

अतः एल. डी. स्प्ल. पी. पी., और एल. डी. नहीं। इस तत्काल याची द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को पीडब्लू**1** से जिरह करने की अनुमति दी जाएगी।एल. डी. याची अफजल अली शा द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को केवल एल. डी. के निर्देश के तहत कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। **CrP.C** की धारा **301 (2)** को ध्यान में रखते हुए लोक अभियोजक।

बी.

13. इस बीच, तत्काल स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी जिसमें इस न्यायालय ने 05.10.2021 के आदेश के माध्यम से मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

सी.

14. इसके बाद, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 02.08.2022 पर अंततः रिट याचिका का फैसला विद्वान और सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.02.2021 अपास्त करना कर दिया।यह देखा गया कि "उपस्थिति

वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ वापस लेने के पीछे राज्य और पीपी के प्रामाणिक विश्वास को प्रेरित नहीं करती हैं।द.

डी.

न्यायालय ने देखा किः-

**"**जब आरोप शुरू में लगाए गए थे**,** तो राज्य ने स्वयं अभियोजन पक्ष के लिए भगवान की कामना की**,** जो उस गति से परिलक्षित होता है जिस पर जांच समाप्त हुई और मुकदमा शुरू हुआ।फिर भी**,** जब प्रत्यर्थी नहीं। **5** कथित रूप से राज्य के सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुकने पर**,** अभियोजन पक्ष ने अभियोजन वापस लेने की मांग करते हुए जल्दबाजी में पीछे हट गया**,** जिसका प्रभाव यह होगा कि अभियुक्त को बिना मुकदमे के बरी कर दिया जाएगा।**"**

ई.

यह भी ध्यान दिया गया कि एक ओर राज्य अभियोजन वापस लेने का बचाव कर रहा था और दूसरी ओर, मुकदमे में तेजी ला रहा था जिसमें कई गवाह अपने बयानों से पलटवार कर रहे थे। इन परिस्थितियों के आलोक में, सीआरपीसी की धारा 321 के तहत आवेदन और ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित दिनांकित अधिसूचना के अनुसरण में की गई सभी कार्रवाई को अपास्त करना दिया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई है और यह अंतिम रूप ले चुका है।

एफ.

जी.

15. याची ने आगे आरोप लगाया है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कई असामान्यताएं हुई हैं, जैसे कि लोक अभियोजक को चार बार बदलना और अभियोजन पक्ष के गवाहों और मृतक के रिश्तेदारों को परेशान करना।ए की पत्नी

एच.

1101

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

मृत सैदा सबाना बानो खातून पर आरोप है कि विचारण न्यायालय के परिसर में प्रत्यर्थी नंबर 2 के गुर्गों और अन्य आरोपी व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने उस पर हमला किया था।इमरान अली नामक एक गवाह का कथित तौर पर प्रत्यर्थी नंबर 2 के सहयोगियों ने अपहरण कर लिया था, जिन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।याची ने तर्क दिया है कि उसकी सुरक्षा वापस ले ली गई है।यह भी कहा जाता है कि अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के बारे में विधिवत सूचित किया गया था लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है।याची का यह भी कहना है कि गवाहों को धमकी देने और उन्हें आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में गवाही देने के लिए प्रभावित करने के प्रयास में उस पर बलात्कार के आरोप सहित झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

बी.

16. इसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में यह स्थानांतरण याचिका दायर की गई है

सी.

दाखिल किया।

**B.** प्रस्तुतियाँ

17. याची के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए निम्नलिखित तर्क उठाए हैं:

डी.

(i) राज्य का आचरण, जो अतीत में प्रत्यर्थी संख्या 2 के जमानत आवेदनों का जोरदार विरोध कर रहा था, नाटकीय रूप से बदल गया है और अब अभियोजन के मामले के लिए हानिकारक है;

ई.

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ कम से कम चौंतीस (34) आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिर भी, राज्य ने बिना किसी ठोस कारण के अभियोजन से पीछे हटने का निर्देश दिया है।धारा 321, सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का घोर दुरुपयोग किया गया था।

(iii) वास्तविक शिकायतकर्ता को मुकदमे के दौरान लाभ हुआ है जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत देने पर उसकी अनापत्ति से स्पष्ट है; धारा 321, सी. आर. पी. सी. के तहत राज्य की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका को वापस लेने की उनकी प्रार्थना और वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता अपनी जिरह के दौरान मुकर गया;

एफ.

((iv) गवाहों को धमकाया जा रहा है और वे अपनी जिरह में मुकर रहे हैं।महत्वपूर्ण गवाहों को डराने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

जी.

(v) गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है और वे न्यायालय के समक्ष सच्चाई से गवाही देने के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कमी के कारण प्रभावित हो सकते हैं।

एच.



राज्य की दुर्भावना के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया है। (vi) यह आरोप लगाया गया है कि पिछले अवसर पर, जब उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को पूर्वी मेदिनीपुर से चिकित्सा उपचार के लिए कोलकाता के एक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, तो ऐसा नहीं किया गया था।बल्कि, उन्हें पूर्व मेदिनीपुर के अस्पताल में रखा गया था जहाँ उन्हें शानदार सुविधाओं तक पहुँच थी।

बी.

(vii) प्रत्यर्थी संख्या 2 की जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर रिलायंस को इस प्रभाव से रखा गया है किः

सी.

**"**घटनाओं का उपरोक्त वर्णन स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से एक पूर्ववर्ती रुख का खुलासा करता है।जहां एक ओर**,** राज्य ने धारा **321 Cr.P.C** के तहत अपनी वापसी का सहारा लेकर अभियोजन पक्ष को दफनाने के लिए आगे बढ़ाया**,** वहीं दूसरी ओर उसने गवाहों

से पूछताछ करके याची  और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन जारी रखने का इरादा किया।

डी.

**...**

चाहे जो भी हो**,** राज्य द्वारा चलाए गए अभियोजन पक्ष में यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अधिकांश गवाहों ने पुलिस को दिए गए अपने पहले के बयानों से मुकर गए हैं और मुकर गए हैं। यह भी ध्यान में रखना उचित है कि **2021** के डब्ल्यू**.** पी**.** ए**. 6315** में मूल रिट याची **,** सूचना देने वाले जहर शा ने भी आशंका व्यक्त की थी और अभियोजन वापस लेने को चुनौती देने वाली उक्त कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे।ये परिस्थितियाँ इस न्यायालय के मन में एक गंभीर आशंका को जन्म देती हैं कि गवाहों के साथ**-**साथ सूचना देने वाले पर भारी और दुर्भावनापूर्ण प्रभाव पड़ा था**,** जिसने उन्हें या तो रिट याचिका से पीछे हटने या अदालत में अभिसाक्ष्य के दौरान पुलिस के समक्ष अपने पहले के अभिसाक्ष्यों को फिर से दर्ज करने के लिए प्रेरित किया था।**”**

ई.

एफ.

जी.

(viii) इन परिस्थितियों में, मृतक के भाई, याची  के मन में एक वास्तविक आशंका है कि उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि अभियोजन पक्ष से समझौता किया गया है;

एच.

1103

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

(ix) सुरेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1 पर यह आग्रह करने के लिए भरोसा रखा गया है कि सभी पक्षों को उचित न्याय देने के लिए, समान तथ्यों और परिस्थितियों में, मुकदमे को उत्तर प्रदेश राज्य से मध्य प्रदेश राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था।के में निर्णय।

अनबाझगन बनाम कर्नाटक राज्य **2** का भी उल्लेख किया गया है।

बी.

यह दोहराने के लिए कि एक बार जब कोई मामला एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाता है, तो हस्तांतरणकर्ता राज्य का अभियोजन पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह अभियोजन करने वाला राज्य बन जाता है।यह याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक बार अभियोजन पक्ष का राज्य बदल जाने के बाद, मुकदमे को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है।
18. सुनवाई के दौरान, श्री पटवालिया ने स्पष्ट किया कि मुकदमे को असम राज्य में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है और यह न्यायालय इसे उड़ीसा या झारखंड जैसे किसी अन्य पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने की वांछनीयता पर विचार कर सकता है।

सी.

19. स्थानांतरण का विरोध करते हुए, श्री कपिल सिब्बल और श्री नीरज किशन कौल, प्रत्यर्थी संख्या 1-पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि ने तर्क दिया कि प्रकट किए गए तथ्य पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर मुकदमे के हस्तांतरण का मामला नहीं बनाते हैं।शुरुआत में, उन्होंने इस स्थानांतरण याचिका को दायर करने के लिए याची के अधिकार को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि याची शिकायतकर्ता नहीं है और मुकदमे में केवल एक गवाह है।उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:(i) मृतक की पत्नी ने 02.03.2021 पर विचारण न्यायालय परिसर में उस पर कथित हमले के बारे में राज्य पुलिस से संपर्क नहीं किया और याचिकाकर्ता की सुरक्षा व्यवस्था को राज्य द्वारा कभी वापस नहीं लिया गया।पुलिस ने गवाह इमरान अली के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई की क्योंकि आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों का तेजी से पता लगाया गया और मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।

डी.

ई.

एफ.

((ii) याची द्वारा यह दिखाने के लिए मीडिया रिपोर्टों की सच्चाई पर भरोसा किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास स्मार्टफोन, हेडफ़ोन आदि जैसी सुविधाओं तक पहुंच है, जो सही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं;

जी.

1 सुरेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 475। 2 के. अनबाझगन बनाम कर्नाटक राज्य (2015) 6 एससीसी 86।

एच.

((ग) लोक अभियोजक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अनुपालन में विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वापस लेने के आवेदन में विस्तृत कारण दिए;

(iv) इस मामले में धारा 406, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है क्योंकि कोई उचित आशंका नहीं है कि न्याय नहीं किया जाएगा।

बी.

(v) राज्य की न्यायपालिका में पक्षपात का कोई आरोप या कानाफूसी नहीं है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों की जमानत याचिकाओं को विचारण न्यायालय द्वारा लगातार खारिज किया गया है और उच्च न्यायालय में इस तरह की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है।उच्च न्यायालय ने मुकदमे की कार्यवाही की देखरेख करने और उसमें होने वाली किसी भी चूक की जांच करने के लिए एक मजबूत पर्यवेक्षी तंत्र के रूप में काम किया है।

सी.

(vi) अनुचित जाँच के कोई आरोप नहीं हैं और विचारण न्यायालय के एकमात्र आदेश में गलती पाई गई जो लिंक जज द्वारा अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन की अनुमति देने वाला आदेश था।

डी.

(vii) मुकदमे में 107 अभियोजन गवाह हैं जिनमें से 80 गवाह पूर्व मेदिनीपुर जिले में रहते हैं जहां मुकदमा चल रहा है।जब तक इस न्यायालय द्वारा मुकदमे पर रोक नहीं लगाई गई, तब तक विचारण न्यायालय ने 11 गवाहों से पूछताछ की थी।अधिकांश गवाह बंगाली भाषी बताए जाते हैं।इन परिस्थितियों के आलोक में, यह कहा गया है कि मामले को पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर की न्यायालय में स्थानांतरित करने से अभियोजन पक्ष और अधिकांश गवाहों को अत्यधिक असुविधा होगी।द.

ई.

अब्दुल नजर मदनी बनाम तमिलनाडु राज्य **3** में निर्णय

एफ.

जिसमें इस न्यायालय ने अभियोजन की सुविधा पर विचार किया, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों, गवाहों और स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेते समय समाज के व्यापक हित को सहायता के लिए दबाव डाला गया है।अन्य मामलों को भी इसी तरह उद्धृत किया गया है 4;

जी.

**(viii)** रिलायंस को नाहर सिंह यादव बनाम भारत संघ **5** पर रखा गया है जिसमें इस न्यायालय ने उल्लेख किया है कि

3 अब्दुल नजर मदनी बनाम तमिलनाडु राज्य (2000) 6 एस. सी. सी. 204।

4 श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल (द्वितीय) बनाम टी. एन. राज्य (2005) 8 एस. सी. सी. 771; हरिता सुनील परब बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2018) 6 एस. सी. सी. 358; स्वाति निर्खी बनाम राज्य (एन. सी. टी.)

दिल्ली) 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 202।

एच.

5 नाहर सिंह यादव बनाम भारत संघ (2011) 1 एस. सी. सी. 307।



अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

धारा 406, सी. आर. पी. सी. का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और स्थानांतरण की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब इस बात की अच्छी तरह से पुष्टि की गई आशंका हो कि न्याय निष्पक्ष रूप से नहीं दिया जाएगा।इसी तरह के अन्य निर्णय भी हमारे ध्यान में लाए गए हैं।

**(ix)** आशीष चंद्र बनाम आशा कुमारी **7** का उल्लेख किया गया है।

बी.

इस न्यायालय की टिप्पणियों कि मामलों के हस्तांतरण का विचारण न्यायालयों पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ता है।

(x) मृतक था और याची  राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है और कार्यवाही को उस अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग की जाती है जहां वह अपना राजनीतिक प्रभाव डालने में सक्षम होगा।कहा जाता है कि मृतक के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे।

सी.

(xi) यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि गवाहों को धमकी दी गई है।प्रत्यर्थी नं. 2, अभिरक्षा में होने के कारण, गवाहों पर कोई धमकी या दबाव नहीं डाला जा सकता है।

डी.

(xii) याची  ने इन कार्यवाहियों के माध्यम से मुकदमे में देरी की है और आरोपी व्यक्ति तीन साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों

के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है और यदि मामला पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जाता है तो वे अपना बचाव करने के लिए भारी खर्च उठाएंगे।

ई.

(xiii) निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, यह न्यायालय मामले को राज्य में कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है और अभियुक्त व्यक्तियों और शिकायतकर्ता की रक्षा करते हुए एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है।

एफ.

20. अन्य सभी उत्तरदाताओं ने इस रुख का समर्थन किया है और इसी तरह के दावे किए हैं।

सी**.** विश्लेषण

21. हमने पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने से पहले, हम धारा 406, सीआरपीसी के साथ-साथ मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में तय किए गए सिद्धांतों पर चर्चा करना उचित समझते हैं।

जी.

6 गुरचरण दास चड्ढा बनाम राजस्थान राज्य (1966) 2 एस. सी. आर. 678; अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल (2009) 6 एस. सी. सी. 260।

7 आशीष चंद्र बनाम आशा कुमारी (2012) 1 एस. सी. सी. 680

एच.



विषय विचारण के स्थानांतरण की मांग में याची  के स्थान पर प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति।

सी**. 1.**याची  की लोकस स्थिति

22. सी. आर. पी. सी. की धारा 406 (2) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को "केवल भारत के महान्यायवादी या किसी इच्छुक पक्ष के आवेदन पर" स्थानांतरित कर सकता है।

बी.

23. के. अनबाझगन बनाम पुलिस अधीक्षक 8 के मामले में,

इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत "इच्छुक पक्ष" अभिव्यक्ति के अर्थ पर चर्चा की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सी.

**“**"इच्छुक पक्ष" शब्दों का व्यापक महत्व है और इसलिए**,** उन्हें व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए।यदि विधायिका का इरादा सीमित अर्थ देने का होता तो उसने "कार्यवाही में पक्षकार" के रूप में शब्दों का उपयोग किया होता।इस संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद **139-**ए के शब्दों पर विचार किया जा सकता है।अनुच्छेद **139-**ए के तहत स्थानांतरण तब हो सकता है जब "सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले में किसी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर संतुष्ट हो"।**(**जोर दिया गया है**)** इसके अलावा यदि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय **XXIX** के प्रावधानों को देखा जाता है**,** तो यह देखा जाता है कि जब विधायिका ने किसी "कार्यवाही के पक्षकार" को विशेष रूप से अपील करने का अधिकार देने का इरादा किया था।इसलिए**,** विधायिका ने आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल व्यापक लोक हित को ध्यान में रखते हुए**,** धारा **406** में व्यापक महत्व के शब्दों का जानबूझकर उपयोग किया।इसके अलावा**,** यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कानूनों की व्याख्या क़ानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए न कि इसे पराजित करने के लिए।**”**

डी.

ई.

एफ.

24. सी. आर. पी. सी. की धारा 406 (2) के तहत 'इच्छुक पक्ष' वाक्यांश की इस उपयुक्त और विस्तृत व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि याची , मृतक का असली भाई होने के नाते, एक निष्पक्ष मुकदमे में महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखता है ताकि मृतक और उसके परिवार को न्याय मिल सके।इस प्रकार याची  के लोकस स्टैंड को उत्तरदाताओं की चुनौती को खारिज कर दिया जाता है।

जी.

8 के. अनबाझगन बनाम पुलिस अधीक्षक (2004) 3 एससीसी 767।

एच.



अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

सी**. 2.**हस्तांतरण के लिए जमीनें

25. पक्षों की ओर से उठाए गए विवादों के दूसरे अंग पर आते हुए, हम सबसे पहले इसके संबंध में कुछ अच्छी तरह से परिभाषित रूपों पर ध्यान दे सकते हैं।अब तक यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि न्याय नहीं होने की एक अच्छी तरह से स्थापित आशंका मामले के हस्तांतरण के लिए एक पूर्व शर्त है।एक मामले के हस्तांतरण की शक्ति का पता लगाते हुए, हमें रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिस 9 में लॉर्ड हेवर्ट के उक्ति की याद दिलाई जाती है जिसमें कहा गया है कि "ऐसा नहीं है।

बी.

केवल कुछ महत्व का है**,** लेकिन यह मौलिक महत्व का है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए**,** बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए।

26. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान 10 के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसके महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है।हालाँकि, किसी मामले के हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए, याची  को ऐसी परिस्थितियाँ दिखाने की आवश्यकता होती है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक उचित आशंका को स्वीकार करता है।यह आशंका काल्पनिक नहीं हो सकती और यह केवल आरोप नहीं हो सकता।11

सी.

डी.

27. धारा 406, सी. आर. पी. सी. के तहत स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्याय स्पष्ट रूप से गंभीर खतरे में हो।इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए केवल असाधारण मामलों में स्थानांतरण की अनुमति दी है कि स्थानांतरण राज्य की न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक आक्षेप लगा सकते हैं।12 इस प्रकार, वर्षों से, इस न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश और परिस्थितियाँ निर्धारित की हैं जिनमें ऐसी शक्ति का न्यायोचित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

ई.

**28.** अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल **13** मामले में**,** यह न्यायालय

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

**“19.** निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन न्याय वितरण की पहली अनिवार्यता है।आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य बाहरी विचारों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है।जब यह दिखाया जाता है कि मुकदमे की निष्पक्षता में जनता का विश्वास गंभीरता से होगा

एफ.

9 रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिस [1924] 1 KB 256।

जी.

10 ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 374;

मेनका संजय गांधी बनाम रानी जेठमलानी (1979) 4 एस. सी. सी. 167; आर. बालकृष्ण पिल्लई

बनाम केरल राज्य (2000) 7 एस. सी. सी. 129।

11 अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल (2009) 6 एस. सी. सी. 260।

12 नाहर सिंह यादव बनाम भारत संघ (2011) 1 एससीसी 307; नीलम पांडे बनाम राहुल

शुक्ला [2020 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 298,22 फरवरी 2023]।

13 अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल (2009) 6 एस. सी. सी. 260।

एच.



पीड़ित पक्ष धारा **407** के तहत राज्य के भीतर और सीआरपीसी की धारा **406** के तहत देश में कहीं भी मामले को स्थानांतरित करने की मांग कर सकता है।

**29.** एन**.** आहार सिंह यादव बनाम भारत संघ **14** में विश्लेषण के बाद

केस-लॉ, इस न्यायालय ने धारा 406, सी. आर. पी. सी. के तहत हस्तांतरण की शक्ति के बुनियादी सिद्धांतों को निम्नानुसार सूचीबद्ध कियाः

बी.

**“29.** इस प्रकार**,** यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **406** के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं**,** यह तय करने के लिए कोई कठोर और कठोर नियम या परीक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता है**,** यह उक्त धारा की उप**-**धाराओं **(2)** और **(3)** को नंगे पढ़ने और इस न्यायालय के फैसलों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मुकदमे के हस्तांतरण का आदेश नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी इच्छुक पक्ष ने मुकदमे के उचित संचालन के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की है।इस शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए**,** जहां मुकदमे को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।मुकदमे के हस्तांतरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय कुछ व्यापक कारकों को ध्यान में रखा जा सकता हैः

सी.

डी.

**(i)** जब यह प्रतीत होता है कि राज्य तंत्र या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के साथ मिलकर काम कर रहा है**,** और अभियोजन पक्ष के लापरवाह रवैये के कारण न्याय की विफलता की संभावना है**;**

ई.

**((**ख**)** जब यह दिखाने के लिए सामग्री हो कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकता है या शिकायतकर्ता को शारीरिक नुकसान पहुँचा सकता है**;**

एफ.

**((**ग**)** अभियुक्त**,** शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष और गवाहों को होने वाली तुलनात्मक असुविधा और कठिनाइयों के अलावा सरकारी और गैर**-**सरकारी गवाहों की यात्रा और अन्य खर्चों के भुगतान में राज्य के खजाने द्वारा वहन किए जाने वाले बोझ के अलावा**;**

जी.

**((iv)** एक सांप्रदायिक अधिभारित वातावरण**,** जो लगाए गए आरोपों और अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति के कारण निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई करने में असमर्थता का कुछ प्रमाण दर्शाता है**;** और

14 नाहर सिंह यादव बनाम भारत संघ (2011) 1 एस. सी. सी. 307।

एच.

1109

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

**(v)** कुछ सामग्री का अस्तित्व जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ व्यक्ति इतने शत्रुतापूर्ण हैं कि वे हस्तक्षेप कर रहे हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्याय के मार्ग में हस्तक्षेप करने की संभावना रखते हैं।**”**

**30.** आर**.** बालकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य **15** में**,** यह न्यायालय

न्यायपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के महत्वपूर्ण पृथक्करण का उल्लेख किया

बी.

कार्यकारी और अभिनिर्धारित किया कि **"**न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रचार या प्रतिकूल प्रचार से प्रभावित नहीं होते हैं।अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और लागू कानून के आधार पर मामलों का निर्णय लिया जाता है।**”**

31. पक्षकारों और गवाहों की सुविधा के साथ-साथ उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेते समय प्रासंगिक कारक हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में उल्लेख किया गया है।16

सी.

**32.** नीलम पांडे बनाम राहुल शुक्ला **17** सहित हाल के कुछ फैसलों में**,** इस न्यायालय ने देखा है कि एक आपराधिक मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना न केवल राज्य न्यायपालिका बल्कि अभियोजन एजेंसी की भी विश्वसनीयता को दर्शाता है।

डी.

33. इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य ने मुख्य अभियुक्त, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 की मदद करने के लिए पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है और यह स्वयं अभियोजन वापस लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत अपनी शक्तियों का सहारा लेने की हद तक चला गया है।धारा 321, सी. आर. पी. सी. का एक सादा अध्ययन इस बात पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि यह मामले का प्रभारी लोक अभियोजक है जिसे न्यायालय की सहमति से अभियोजन से वापस लेने के लिए एक दृष्टिकोण बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से अपना दिमाग लगाना पड़ता है।मामले में अपनाई गई प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 की योजना से पूरी तरह अलग थी क्योंकि अभियोजन वापस लेने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया था और लोक अभियोजक को केवल उक्त सरकारी अधिसूचना पर कार्य करने के लिए कहा गया था।लिंक जज ने लोक अभियोजक के आवेदन को स्वीकार करने में भी हड़बड़ी दिखाई और

ई.

एफ.

जी.

15 आर. बालकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य (2000) 7 एस. सी. सी. 129।

16 अब्दुल नजर मदनी बनाम तमिलनाडु राज्य (2000) 6 एस. सी. सी. 204; श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल (II) बनाम टी. एन. राज्य। (2005) 8 एस. सी. सी. 771; हरिता सुनील परब बनाम राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली) (2018) 6 एससीसी 358।

17 नीलम पांडे बनाम राहुल शुक्ला [2020 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 298,22 फरवरी 2023]।

एच.

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए मामला सूचीबद्ध होने की तारीख से पहले भी अभियोजन पक्ष से वापस लेने की अनुमति देना।

34. हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय/पुनरीक्षण/रिट अधिकार क्षेत्र के सक्रिय अभ्यास के परिणामस्वरूप इनमें से किसी भी पेटेंट अवैधता को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी गई थी।न केवल राज्य सरकार की अधिसूचना को अपास्त करना दिया गया था, बल्कि लिंक जज द्वारा इस तरह की वापसी की अनुमति देने वाले आदेश को भी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।यह रिकॉर्ड की बात है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बार-बार प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत देने से इनकार कर दिया है और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी जमानत बढ़ाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है।इस तथ्यात्मक परिदृश्य में, सवाल यह उठता है कि क्या मुकदमे को पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर स्थानांतरित करना आवश्यक है या क्या वैकल्पिक उचित निर्देश जारी करके न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है?

बी.

सी.

**D.** निष्कर्ष

35. इस मुद्दे पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमें ऐसा लगता है कि मुकदमे को पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और याची की आशंकाएं, जिनमें से कुछ वास्तव में वास्तविक हैं, उचित निर्देश जारी करके प्रभावी ढंग से दूर की जा सकती हैं।हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि 90 से अधिक गवाहों, जिनमें से अधिकांश बंगाली भाषी हैं, से अभी पूछताछ की जानी बाकी है।मुकदमे का किसी अन्य पड़ोसी राज्य में स्थानांतरण उन गवाहों के अभिसाक्ष्य में गंभीर बाधा पैदा करेगा और उनमें से कुछ दूर के स्थान पर जाने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का मामला गंभीर रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।जब तक उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मुकदमे की कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित कर रहे हैं, हम यह स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि अगर पश्चिम बंगाल राज्य में मुकदमा चलाया जाता है तो पीड़ित के परिवार को उचित न्याय नहीं मिलेगा।

डी.

ई.

एफ.

36. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस स्थानांतरण याचिका का निम्नलिखित शर्तों में निपटारा करना उचित समझते हैंः- (i) पुलिस स्टेशन पंसकुरा, जिला पूर्व मेदिनीपुर में पंजीकृत एफ. आई. आर. संख्या 495/2019 से उत्पन्न 2020 की एस. टी. संख्या 1 (03) वाले आपराधिक मुकदमे को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय, तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।

जी.

((ii) मुकदमा मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय द्वारा संचालित किया जाएगा और वह मामले को किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को नहीं सौंपेगा।

एच.

1111

अफजल अली शा @अबजल शौकत शा बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।]

ए.

((ग) मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय साप्ताहिक आधार पर मुकदमा चलाने का प्रयास करेगा और छह महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का प्रयास करेगा।

(iv) पश्चिम बंगाल राज्य को उच्च न्यायालय के पूर्व अनुमोदन के साथ मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट, कलकत्ता की सिफारिशों पर एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।यह अभ्यास दो सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा।

बी.

(v) मृतक की पत्नी, याची  और अभियोजन पक्ष के अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।पश्चिम बंगाल राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे और प्रत्यर्थी  संख्या 2 या उनके सह-अभियुक्त व्यक्तियों या उनकी ओर से किसी ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने, डराने या धमकी देने का प्रयास न किया जाए।

सी.

(vi) वास्तविक शिकायतकर्ता जिसे चश्मदीद गवाह भी कहा जाता है और जिसने मुख्य परीक्षा के दौरान दर्ज अपने बयान से कथित रूप से इनकार विद्वान  है, विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा के अधीन होगा, जिसके लिए याची  द्वारा नियुक्त अधिवक्ता विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सहायता प्रदान कर सकता है।

डी.

ई.

(vii) प्रत्यर्थी संख्या 2 या हिरासत में रखे गए किसी अन्य आरोपी को तुरंत कलकत्ता की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।(viii) प्रत्यर्थी सं. 2, अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के साथ-साथ हिरासत में अन्य अभियुक्तों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के अलावा मुकदमे के समापन तक जमानत पर नहीं बढ़ाया जाएगा।

एफ.

(ix) कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान पोर्टफोलियो न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वे ऊपर जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में नियमित रूप से मुकदमे की कार्यवाही की निगरानी और पर्यवेक्षण करें।37. इसलिए इस स्थानांतरण याचिका का उपरोक्त कथनों में निपटारा किया गया है।

जी.

शर्तें।

38. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान

निर्देश जारी किए गए।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एच.